भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 19

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु योजना

19. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं, विशेषकर 'गरीबी रेखा से नीचे' श्रेणी में आने वाले युवाओं के कौशल विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या का ब्योरा क्या है;

(घ) कितने व्यक्तियों/युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को आवंटित कुल राशि का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार, कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम का उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और 8वीं कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षु को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

(ग) से (घ) छत्तीसगढ़ राज्य में एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या
पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.10.2024)	1,99,419
एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.10.2024)	16,632
जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 10.11.2024)	1,10,819
सीटीएस (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24)	1,08,764

(ङ) वर्ष 2015 में पीएमकेवीवाई की प्रारंभन से लेकर वर्ष 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य में को कौशल प्रदान करने के लिए 127.08 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निधि सीधे जारी की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जेएसएस (एनजीओ) को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक 30.28 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आईटीआई के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है। एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

*****